"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 मई 2017— वैशाख 16, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–41/2016/32. — यतः, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक 1481–1473–बत्तीस–88, दिनांक 09 मार्च, 1988 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 14) की धारा 19 की उप–धारा (1) के अंतर्गत संपूर्ण राज्य को प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है;

और यतः, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से परामर्श करने के पश्चात्, राज्य सरकार की यह राय है कि फसल कटाई के पश्चात् खेतों में बचे हुये फसल अपशिष्ट को जलाने से वायु प्रदूषण होता है अथवा होना संभाव्य है। अतएव, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 14) की धारा 19 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में, फसल कटाई के पश्चात् खेतों में ऐसे बचे हुये फसल अपशिष्ट को जलाये जाने से, तत्काल प्रभाव से, प्रतिबंधित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2017

क्रमांक एफ 5–41/2016/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06–05–2017 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya raipur, the 6th May 2017

NOTIFICATION

No. F 5-41/2016/32. — Whereas, State Government has declared Pollution Control Area of the whole State under sub-section (1) of Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) vide Notification No. 1481-1473-XXXII-88, dated 09th March, 1988;

And Whereas, the State Government, after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, is of the opinion that the burning of left-over straw after harvesting of the crops causes or is likely to cause air pollution. Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (5) of Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), the State Government, hereby, prohibits burning of such left-over straw after harvesting of the crops in the whole State of Chhattisgarh with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.